स्थायी वित्त निर्देश 18 / 2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 1706/वित्त/ब–4/संसा./2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/05/2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः– आय–व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान (Reconciliation) करने के संबंध में।

संदर्भः–
1. वित्त विभाग का ज्ञाप.क्रमांक 2153/04–04555/वित्त/ब–4/2022, दिनांक 09.11.2022 (वित्त निर्देश 30/2022)
2. वित्त विभाग का ज्ञाप.क्रमांक 1803/04–04555/वित्त/ब–4/2022, दिनांक 08.09.2022 (वित्त निर्देश 20/2022)
3. वित्त विभाग का ज्ञाप.क्रमांक 966/04–04555/वित्त/ब–4/2022, दिनांक 05.05.2022 (वित्त निर्देश 10/2022)

-----00-----

संदर्भित वित्त निर्देशों के माध्यम से विभागीय आय–व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। लेखाओं का अंकमिलान, लेखों के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों की प्रमाणिकता एवं सटीकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य शासन के प्राप्ति एवं व्यय के प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह महालेखाकार द्वारा दर्ज किये लेखों से अंकमिलान किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में जारी संदर्भित वित्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैंः–

1. प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का संबंधित विभागीय आय–व्यय के आंकड़ों से पुनर्मिलान (Reconciliation) किया जाना अनिवार्य है ताकि राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे में आय एवं व्यय की राशियों को वास्तविक एवं सही रूप से प्रदर्शित किया जा सके।
2. महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों के संबंधित बजट नियत्रण अधिकारियों (बीसीओ) द्वारा लेखों के पुनर्मिलान (Reconciliation) का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा कुछ बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आंशिक रूप से ही पुनर्मिलान किया जा रहा है।
3. कोषालयों के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के ऑनलाईन अंकमिलान हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा ई–कोष वेबसाईट पर ऑनलाईन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें पुनर्मिलान हेतु ऑनलाईन प्लेटफार्म का लिंक ई–कोष के वेबसाईट (https://ekoshonline.cg.gov.in/integration/) पर उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम

से नियमित रूप से आय–व्यय के आंकड़े के पुनर्मिलान का कार्य सुनिश्चित किया जाना है। ई–कोष के पुनर्मिलान पोर्टल में लॉग–ईन करने हेतु बीसीओ/डीडीओ (e-Bill-Payroll) के आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है। पुनर्मिलान के पश्चात् बीसीओ द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर महालेखाकार को प्रेषित किया जाना है।

4. संलग्न परिशिष्ट–अ में मासिक रूप से लेखों का पुनर्मिलान करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाती है। पुनर्मिलान हेतु उक्त समय सीमा का गंभीरता पूर्वक पालन किया जाये तथा विलम्ब की स्थिति में विभागीय सचिवों द्वारा उत्तदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
5. प्राप्तियों हेतु बजट शीर्ष की मैपिंग में यदि कोई संशोधन किया जाना हो अथवा नवीन बजट शीर्ष खोलना आवश्यक हो तो संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।
6. संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एनआईसी/तकनीकी शाखा के माध्यम से बजट नियंत्रण अधिकारियों व प्राप्तियों हेतु बजट शीर्षों की मैपिंग ई–कोष पोर्टल में की जायेगी तथा समय–सीमा में आय–व्यय के पुनर्मिलान किये जाने की मॉनीटरिंग ई–कोष पर रिपोर्ट के माध्यम से की जायेगी। साथ ही इस विषय से संबंधित आवश्यक समाधान के कार्य संपादित किये जायेंगे।

कृपया समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों (बीसीओ)/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को महालेखाकार कार्यालय से मासिक लेखों के पुनर्मिलान का कार्य सटीकता के साथ ऑनलाईन सुविधा का उपयोग करते हुए समय–सीमा में नियमित रूप से किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

निरंतर.....3

पृष्ठां.क्र.1767/वित्त/ब–4/संसा./2025, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/05/2025
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संचालक, बजट/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान/लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

––––को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

21. संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।

16/05/2025

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

परिशिष्ट–अ

मासिक प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के पुनर्मिलान हेतु निर्धारित समय–सीमा

स.क्र	कार्यवाही	द्वारा	समय–सीमा	समय–सीमा हेतु उदाहरण
1	प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े उपलब्ध कराना एवं आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करना	AG	आगामी माह के 23–25 तारीख तक उपलब्ध कराते हुए अपलोड करना	माह मई हेतु 23–25 जून तक आंकड़े उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर अपलोड करना
2	**व्यय का पुनर्मिलान**			
(1)	मिलान किये गये आंकड़ों की समीक्षा एवं पुनर्मिलान पश्चात ऑनलाईन प्रमाणपत्र अपलोड करना	BCO	10 दिवस (डाटा अपलोड के पश्चात्)	05 जुलाई
(2)	Unmatched Data के पुनर्मिलान पश्चात बीसीओ को ऑनलाईन सबमिट करना	DDO	15 दिवस (डाटा अपलोड के पश्चात्)	10 जुलाई
(3)	Unmatched Data के सुधार हेतु आवश्यक त्रुटिपूर्ण लेखों में संशोधन हेतु कोषालय/कार्य संभाग/वन संभाग के माध्यम से महालेखाकार को प्रस्ताव प्रेषित करना	DDO	15 दिवस (डाटा अपलोड के पश्चात्)	10 जुलाई
(4)	DDO से प्राप्त Unmatched Data की समीक्षा एवं पुनर्मिलान पश्चात महालेखाकार को ऑनलाईन प्रमाण पत्र अपलोड करना	BCO	25 दिवस (डाटा अपलोड के पश्चात्)	20 जुलाई
3	पोर्टल पर उपलब्ध प्राप्तियों के आंकड़ों के पुनर्मिलान एवं समीक्षा के पश्चात महालेखाकार को ऑनलाईन प्रमाण पत्र अपलोड करना	BCO	25 दिवस (डाटा अपलोड के पश्चात्)	20 जुलाई

नोट– 1. कार्य विभागों (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं) एवं वन विभाग के आंकड़े भी पोर्टल पर एनआईसी द्वारा उपलबध कराये जायेंगे। अतः इनका पुनर्मिलान कार्य भी ऑनलाईन किया जावेगा।

2. कुछ बीसीओ द्वारा अन्य बीसीओ के नियंत्रण में आने वाले डीडीओ को आबंटन दिया जाता है। ऐसे डीडीओ के आंकड़ों का पुनर्मिलान नियंत्रणकर्ता बीसीओ द्वारा किया जायेगा।

3. माह मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के दृष्टिगत प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के संबंध में पुनर्मिलान एवं समीक्षा के पश्चात महालेखाकार को ऑनलाईन प्रमाण पत्र अपलोड करने के कार्य को आगामी 31 मई तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

16/05/2025